



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2019/आश्विन 26, 1941
No. 625]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2019/ASVINA 26, 1941

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2019

**सा.का.नि. 799(अ).**—कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित, पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार प्रस्ताव करती है, जो ऐसे सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप यह अधिसूचना प्रकाशित करने वाले भारत के शासकीय राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, उसे सुश्री पूजा स्वरूप, उप सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011 पर भेजे जा सकते हैं अथवा [pooja.swaroop@gov.in](mailto:pooja.swaroop@gov.in) पर ई-मेल भेजी जा सकती है।

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप और/या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 है।
- (2) पेटेंट नियम, 2003 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 7 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) ऐसे मामले में जहां किसी प्रकृत व्यक्ति और/ अथवा स्टार्टअप और/ अथवा लघु अस्तित्व द्वारा की गई किसी आवेदन की कार्रवाई किसी प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप अथवा लघु अस्तित्व से भिन्न किसी व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः अंतरित की जाती है वहाँ उसी विषय में किसी प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप अथवा लघु अस्तित्व से प्रभारित फीस और प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप अथवा लघु अस्तित्व से भिन्न व्यक्ति से प्रभारित फीस के बीच फीसों के मापमान के अंतर का, यदि कोई हो, नए आवेदक द्वारा अंतरण के अनुरोध के साथ संदाय किया जाएगा।”

(3) उक्त नियम में, उप-नियम (3क) को हटाया जाएगा।

(4) उक्त नियम में, उप-नियम (3ख) को हटाया जाएगा।

(5) उक्त नियम में, उप नियम (3) के पश्चात उप-नियम (3ख) का स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और उसके स्थान पर रखा जाएगा, अर्थात्:-

“**स्पष्टीकरण-** जहां स्टार्टअप/लघु अस्तित्व पेटेंट आवेदन फाइल करने के बाद, वह अवधि जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त है, उस के बीत जाने के उपरांत अथवा तदोपरांत उसका व्यापारावर्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित वित्तीय सीमा पार कर लेने के कारण, वह स्टार्टअप/लघु अस्तित्व नहीं रह जाता है, वहां फीस के परिमाण में किसी अंतर का भुगतान नहीं करना होगा।”

(6) उक्त नियम में, प्रथम अनुसूची में, निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्:-

- (i) स्तम्भ 5 तथा 8 हटाए जाएंगे;
- (ii) मौजूदा कॉलम 6 को 5 के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा;
- (iii) मौजूदा कॉलम 7 को 6 के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा;
- (iv) मौजूदा कॉलम 9 को 7 के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा; और
- (v) सारणी में शीर्ष कतार के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-

”

प्रविष्टि संख्यांक	जिस पर संदेय है	सुसंगत प्ररूप संख्यांक	ई-फाइलिंग के लिए		भौतिक रूप में फाइल करने के लिए	
			प्रकृत व्यक्ति (यों) और/ अथवा स्टार्टअप(पों) और/ अथवा लघु अस्तित्व (वों) के लिए	अन्य, अकेले अथवा प्रकृत व्यक्ति (यों) और/ अथवा स्टार्टअप (पों) और/ अथवा लघु अस्तित्व (वों) के साथ	प्रकृत व्यक्ति(यों) और/ अथवा स्टार्टअप(पों) और/ अथवा लघु अस्तित्व (वों) के लिए	अन्य, अकेले अथवा प्रकृत व्यक्ति (यों) और/ अथवा स्टार्टअप (पों) और/ अथवा लघु अस्तित्व (वों) के साथ
1	2	3	4	5	6	7

(7) उक्त नियम में, नियम 24 ग के उप-नियम 5 के दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस नियम के अधीन किसी स्टार्टअप द्वारा फाइल त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध पर केवल इसी आधार पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जाएगा कि स्टार्टअप/लघु अस्तित्व पेटेंट आवेदन फाइल करने के बाद, वह अवधि जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त है, उस के बीत जाने के उपरांत अथवा तदोपरांत उसका व्यापारावर्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित वित्तीय सीमा पार कर लेने के कारण, वह स्टार्टअप/ लघु अस्तित्व नहीं रह जाता है।”

[फा. सं. पी-24031/14/2019-आईपीआर-III]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2019

**G.S.R. 799(E).**—The following draft rules to further amend the Patents Rules, 2003 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970, are hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to Ms Pooja Swaroop, Deputy Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 or by e-mail at pooja.swaroop@gov.in. The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

**DRAFT RULES**

- (1) These rules may be called the Patents (2<sup>nd</sup> Amendment) Rules, 2019.
- (2) In the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as said rules), in rule 7, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) In case an application processed by a natural person and/ or startup and/ or small entity is fully or partly transferred to a person other than a natural person, startup or small entity, the difference, if any, in the scale of fees between the fees charged from the natural person, startup or small entity and the fees chargeable from the person other than a natural person, startup or small entity in the same matter, shall be paid by the new applicant with the request for transfer.”.
- (3) In the said rules, sub-rule (3A) will be deleted.
- (4) In the said rules, sub-rule (3B) will be deleted.
- (5) In the said rules, the Explanation to sub-rule (3B) shall be inserted after sub-rule (3) and shall be substituted, namely:-

“**Explanation**—Where a startup/ small entity, having filed an application for a patent, ceases to be a startup/ small entity due to the lapse of the period during which it is recognised by the competent authority, or its turnover subsequently crosses the financial threshold limit as notified by the competent authority, no such difference in the scale of fees shall be payable.”.
- (6) In the said rules, in the FIRST SCHEDULE, the following amendments shall be carried out, namely:-
  - (i) columns 5 and 8 will be deleted;
  - (ii) the present column 6 will be renumbered as 5;
  - (iii) the present column 7 will be renumbered as 6;
  - (iv) the present column 9 will be renumbered as 7; and
  - (v) the title row of the table will be substituted with the following, namely-

“

Number of Entry	On what payable	Number of the relevant Form	For e-filing		For physical filing	
			Natural person(s) and/ or Startup(s) and/ or Small entit(y)/(ies)	Other(s), alone or with natural person (s) and/ or Startup(s) and/ or Small entit(y)/(ies)	Natural person(s) and/ or Startup(s) and/ or Small entit(y)/(ies)	Other(s), alone or with natural person(s) and/ or Startup(s) and/ or Small entit(y)/(ies)
1	2	3	4	5	6	7

”

(7) In the said rules, the proviso in sub-rule 5 of Rule 24C, will be replaced with the following, namely:

“Provided that a request for expedited examination under this rule filed by a startup or small entity shall not be questioned merely on the ground that the startup/ small entity, having filed an application for a patent, ceases to be a startup/ small entity due to the lapse of the period during which it is recognised by the competent authority, or its turnover subsequently crosses the financial threshold limit as notified by the competent authority”.”

[F. No. P-24031/14/2019-IPR-III]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.